बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

# आदेश

ज्ञापांकः–1/विविध–39/2018–1039(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 19/9/2018

राज्य में पारा मेडिकल एवं पारा डेन्टल संस्थानों की स्थापना, संचालित पाठ्यक्रम, परीक्षा संचालन, पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता तथा इनमें एकरूपता बनाये रखने हेतु, बिहार पारा मेडिकल/पारा डेन्टल शिक्षण (संस्थानों की स्थापना हेतु अनुमति) नियमावली, 2005 को, वर्त्तमान परिदृश्य में, सुदृढ़ एवं तर्कसंगत करने की आवश्यकता के आलोक में नियमावली, 2005 की आवश्यक समीक्षा, अनुशंसा एवं अनुशंसा के अनुरूप नये अधिसूचना प्रारूप के गठन, चेक लिस्ट आदि के निर्धारण हेतु निम्नरूपेण त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जाता है–

(क) श्री कौशल किशोर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग – अध्यक्ष

(ख) डा0 मुक्ति नाथ सिंह, परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ – सदस्य एवं

(ग) प्रो0 (डा0) शैलेन्द्र कुमार, प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना – सदस्य सचिव

2– यह समिति स्पष्ट अनुशंसा एवं प्रारूप के साथ अपना प्रतिवेदन 30 (तीस) दिनों के अंदर समर्पित करेगी।

3– इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

**समिति के संदर्भ के मुख्य बिन्दु (Terms of reference):–**

(i) आवेदन करने की प्रणाली।

(ii) आवेदन प्रपत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का निर्धारण।

(iii) निर्धारित शुल्कों की समीक्षा।

(iv) प्राप्त शुल्क को सीधे सरकारी खाते में जमा करने की प्रक्रिया।

(v) संस्थान के निरीक्षण हेतु चेक लिस्ट का निर्धारण।

(vi) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु आवश्यक मशीन उपस्करों की सूची एवं उनकी संख्या का निर्धारण।

(vii) पारा मेडिकल/पारा डेन्टल डिग्री एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालन हेतु संस्थानों को अनापत्ति प्रदान करने के लिए मापदण्ड का निर्धारण।

(viii) आवेदन का निर्धारित समयावधि में निष्पादन हेतु timeline का निर्धारण।

(ix) अन्य कोई बिन्दु, जो समिति को आवश्यक प्रतीत हो।

18/09/2018

(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

क्रमशः

ज्ञापांक:–1/विविध–39/2018–1039(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 19 / 9 /2018

**प्रतिलिपिः–** माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** डा0 मुक्ति नाथ सिंह, परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रो0 (डा0) शैलेन्द्र कुमार, प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** प्राचार्य/अधीक्षक, सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार/सभी संबंधित चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव